



Neutral Citation No.- 2026:AHC:129728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21902 वर्ष 2026

विपिन सिंह

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	सत्य प्रकाश सिंह, सीमा सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 173 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन बरदाह, जिला आजमगढ़ में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में सूचनाकर्ता का नाम नहीं है। पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25.05.2026 से जेल में है। सूचनाकर्ता पर लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाए जाने पर सात वर्ष से अधिक की सजा नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक और सह-आरोपियों के कब्जे से सौर पैनल, डिजिटल बोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, वायरलेस माउस, वेब कैमरा, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, टीवी और गैस सिलेंडर सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। बरामदगी से आवेदक के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है और आवेदक को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।
6. आवेदक 25.05.2026 से जेल में है। आवेदक पर लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाए जाने पर सात वर्ष से अधिक की सजा नहीं होगी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और चोरी की गई वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित लगता है।
8. जमानत आवेदन **स्वीकार** कर लिया गया है।
9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल आरोपित-आवेदक **विपिन सिंह** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
 - (iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी, रिहा किया जाएगा।
12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

30 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. पांडे

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।